<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः - 193 / 12</u> संस्थापन दिनांकः - 20 / 04 / 12 फाईलिंग नं. 233504000812012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

- 1. शशिकांत पिता गणेश प्रसाद, उम्र 27 वर्ष,
- 2. लालीबाई पति गणेश प्रसाद, उम्र 52 वर्ष
- 3. जितेंद्र उर्फ जित्तू पिता गणेश प्रसाद, उम्र 24 वर्ष
- आरती पिता गणेश प्रसाद, उम्र 25 वर्ष सभी निवासी गोविंद कॉलोनी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

<u>.....अभियुक्त</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 13.11.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498(ए) भा0दं०सं० एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3, 4 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 06.05.2011 से दिनांक 08.04.2012 तक थाना आमला जिला बैतूल स्थित अपने मकान में फरियादी अंकिता मोखेड़े जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए कूरता कारित की एवं फरियादी से दहेज के रूप में पांच लाख रूपये और चार पहिया वाहन लाने की मांग की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी का विवाह अभियुक्त शशिकांत से 6 मई 2011 को हुआ था। शादी में उसकी मां ने अपनी सामर्थ के अनुसार दहेज दिया था। ससुराल जाने के बाद अभियुक्तगण उसे पांच लाख रूपये नगद या चार पिहया वाहन लाने की बात को लेकर आये दिन ताने दिया करते थे। वह किसी तरह 6—7 मिहने अपने ससुराल में रही। इसी बीच अभियुक्तगण ने उक्त मांग को लेकर उसके साथ झगड़ा लड़ाई मारपीट की। अभियुक्तगण ने उसे मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया। अभियुक्तगण ने उसे प्रसाद में कुछ मिलाकर खिला दिया था। अभियुक्तगण

उसे पांच लाख रूपये या चार पिहया वाहन की मांग को लेकर शादी के बाद से ही मानिसक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। फिरयादी द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर थाना सारणी में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 0/12 धारा 498—ए भा.दं.सं. एवं 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु थाना आमला भेजा गया। थाना आमला में अभियुक्तगण के विरूद्ध असल अपराध क. 141/12 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फिरयादी से विवाह पत्रिका एवं दहेज सूची जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वे निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी अंकिता को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की ?
- 2. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी से दहेज में पांच लाख रूपये और चार पहिया वाहन की मांग की ?
- 3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण

- 5 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6 अंकिता (अ.सा.—1) का कहना है कि अभियुक्त शशिकांत उसके पित है और अभियुक्त लालीबाई, जितेंद्र, आरती क्रमशः उसकी सास, देवर और नंद है। अभियुक्त शशिकांत के साथ उसका विवाह 5 मई 2011 को हुआ था। शादी के बाद वह अपने ससुराल गोविंद कॉलोनी आमला में चले गयी थी।

शादी के बाद छहः महिने तक वह अपने ससुराल में रही। इसी दौरान सभी अभियुक्तगण शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। अभियुक्त शशिकांत और जितेंद्र उससे कहते थे कि तुम दहेज में कुछ नहीं लायी हो अपने घर चले जाओ। अभियुक्तगण उसे पांच लाख रूपये या फोर व्हीलर लाने के लिए कहते थे। अभियुक्त लालीबाई और जितेंद्र ने मिट्टी का तेल डालकर उसे मारने की कोशिश की थी। लालीबाई ने उसे प्रसाद में मिलाकर कुछ खिला दिया था जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गयी थी। अभियुक्त शशिकांत ने उसे दो तीन थप्पड मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। फिर वह रेलवे स्टेशन आमला में आयी और अपनी मौसी को फोन करके उनके पास गयी। अभियुक्त शशिकांत ने जब वह ससुराल में रहती थी तब हाथ में कलाई के पास चाकू रखकर कहा था कि मैं तेरा हाथ काट देता हूं। हाथ से खून निकलने लगा तब उसने अपना हाथ अलग कर लिया। अभियुक्त शशिकांत उसे बाथरूम के टांके में डूबोकर मारने का भी प्रयास करता था। अभियुक्तगण पांच लाख रूपये के कारण उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे। मुलताई न्यायालय में अभियुक्तगण से राजीनामा होने के बाद वह अपने ससुराल गयी थी तब भी अभियुक्तगण का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं रहा। अभियुक्तगण के विरूद्ध उसने एसपी, कलेक्टर, महिला बाल विकास भोपाल में शिकायत की थी।

- 7 सुनीता सोलंकी (अ.सा.—2) का कहना है कि फरियादी अंकिता उसकी पुत्री है और अन्य अभियुक्तगण उसके ससुराल के हैं। दो माह तक उसकी पुत्री अंकिता ससुराल में ठीक से रही इसके बाद अभियुक्तगण उसे परेशान करने लगे। अभियुक्त शशिकांत उसकी लड़की से पांच लाख रूपये और चार पिहया वाहन की मांग करता था। अभियुक्तगण ने उसकी लड़की के उपर मिट्टी का तेल डालकर मारने की कोशिश भी की थी। अभियुक्तगण ने दहेज को लेकर उसकी बेटी अंकिता को घर से बाहर निकाल दिया था। समझौता होने पर अंकिता को पुनः से ससुराल भिजवाया था लेकिन उसके बाद भी अभियुक्तगण उसे अच्छे से नहीं रखते थे।
- 8 अनिल सोलंकी (अ.सा.—4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी अंकिता उसकी भतीजी है। अभियुक्तगण उसके ससुराल वाले हैं। अभियुक्त शशिकांत उसका पित है। अभियुक्तगण अंकिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पांच लाख रूपये मांगते थे और उसे जहर खाने के लिए मजबूर कर दिया था और उसे घर से भी भगा दिया था। शीतल सोलंकी (अ. सा.—5) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि अंकिता उसकी भतीजी है। अभियुक्त शिशकांत उसका पित और अन्य अभियुक्तगण उसके ससुराल के हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही अभियुक्तगण उसे परेशान करने लगे और कहने लगे कि दहेज में पांच लाख रूपये लेकर आना। अभियुक्तगण अंकिता को प्रताड़ित करते

थे जिससे उसने जहर खा लिया था। उभयपक्ष के बीच में समझौता होने के बाद भी अभियुक्तगण उसे परेशान करते था।

- 9 आर.के. दुबे (अ.सा.—3) ने प्रकट किया है कि दिनांक 11.04.2012 को थाना आमला में नगर निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना सारणी से अपराध क. 0/12 की असल कायमी प्राप्त होने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 141/12 धारा 498—ए भा.दं.सं., 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी—4) एवं दिनांक 11.04.2012 को फरियादी अंकिता से शादी के कार्ड एवं दहेज सूची जप्त कर (प्रदर्श पी—3) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी—10 लगायत प्रदर्श पी—13 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।
- 10 अंकिता (अ.सा.—1), सुनीता सोलंकी (अ.सा.—2), अनिल सोलंकी (अ.सा.—4), शीतल सोलंकी (अ.सा.—5) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण पांच लाख रूपये और एक फोर व्हीलर की मांग करते थे और इसके लिए फरियादी अंकिता को प्रताड़ित करते थे। उसे जहर खाने के लिए मजबूर कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया था।
- अंकिता (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि शादी के पहले और शादी के दिन उसके पति, देवर, सास, ननंद ने कभी भी दहेज की मांग नहीं की। उसकी मां ने अभियुक्तगण को यह बता दिया था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अभियुक्तगण यह जानते थे कि वह और उसके परिवार वाले पांच लाख रूपये नहीं दे सकते थे। जब वह शादी के बाद ससुराल गयी तो 4-5 दिन तक ससुराल में अच्छे से रही तब भी अभियुक्तगण ने दहेज की कोई मांग नहीं की। शादी के पहले से ही अभियुक्तगण के पास फोर व्हीलर थी। ससुराल में घर पर सास और देवर रहते थे और ननंद आना–जाना करती थी। अभियुक्त आरती उसकी शादी में भी नहीं आयी थी। उसका पति अभियुक्त शशिकांत उसके ससुराल में रहने के दौरान कुल तीन बार आया था। दीवाली में भी अभियुक्त शशिकांत नहीं आया था। शादी के बाद छहः माह तक अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज मांगने और प्रताङ्ति करने की कोई रिपोर्ट नहीं की थी। साक्षी से यह प्रश्न पूछे जाने पर कि आपकी सास ने जहर दिया तो उसकी कोई लिखित शिकायत की थी या नहीं तो साक्षी ने पुलिस वालों ने दो कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे बाद में पता चला था कि उसमें यह लिखा था कि उसने अपनी मर्जी से जहर खा लिया था। इस सूझाव को सही बताया है कि उसने पुलिस के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत नहीं की कि पुलिस ने उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया था।

साक्षी अंकिता (अ.सा.-1) से यह प्रश्न पूछे जाने पर कि जब तक आपको मुलताई न्यायालय से नोटिस नहीं मिला था तब तक आपने अभियुक्तगण की पुलिस में शिकायत नहीं की थी। साक्षी ने उत्तर में यह बताया है कि उसने मुलताई न्यायालय से नोटिस मिलने के बाद सारणी थाने में शिकायत की थीं। इस सुझाव को गलत बताया है कि मैं इस बात का इंतेजार कर रही थी कि अभियुक्तगण कोर्ट में केस डालेंगे तब इनकी शिकायत करूंगी। एफआईआर विलंब से इसलिए कि क्योंकि उसे समझमें नहीं आया कि क्या और कैसे करना है। अभियुक्तगण द्वारा दहेज मांगने की तारीख और दिन मालूम नहीं। स्वतः कहा कि एक महिने के बाद ही दहेज मांगना चालू कर दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि उसके पति मेरठ में रहते थे यह उसे पक्का पता नहीं था। अभियुक्तगण ने किस तारीख को उसके उपर मिट्टी का तेल डाला था यह उसे ध्यान नहीं है। स्वतः कहा कि अखाडी की बात है। तीनों अभियुक्तगण ने उसके उपर मिट्टी का तेल डाला था। साक्षी ने यह पूछे जाने पर कि इतनी गंभीर घटना होने के बाद भी आपने और आपकी मां ने आधा किलोमीटर दूरी पर थाना होने पर भी शिकायत क्यों नहीं कि तो साक्षी ने उत्तर दिया कि उसे थाना पता नहीं था और मां ने कहा था कि बात करते हैं बाद में जो होगा देखेंगे। मिट्टी का तेल डालने की घटना की रिपोर्ट उसने कहीं पर भी नहीं की थी। मुलताई न्यायालय से राजीनामा होने के बाद वह डेढ़ दो माह तक ससुराल में रही। इस सुझाव को गलत बताया है कि राजीनामा स्वेच्छया से किया था। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके पति फौज में नौकरी करते थे, उसे विधवा सास के पास न रहना पड़े इसलिए सबकी झूठी शिकायत की है।

13 अनिल सोलंकी (अ.सा.—4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि फरियादी की मां कपड़े प्रेस का अजीविका चलाती है और महिने में बमुष्टिकल 5—6 हजार रूपये कमा पाती है। गरीबी रेखा में उनका नाम लिखा है। अभियुक्तगण को यह बात मालूम है कि अंकिता की मां कपड़े प्रेस कर मुष्टिकल से गुजर बसर करती है। शादी के पहले ही अभियुक्तगण को फरियादी के परिवार की आर्थिक हैसियत के बारे में पता था और हम लोगों ने भी बता दिया था। अभियुक्तगण ने शादी होने तक और विदा तक दहेज की मांग नहीं की थी। अभियुक्तगण यह जानते थे कि पांच लाख रूपये और मारूति कार फरियादी एवं उसकी मां नहीं दे सकते हैं। अभियुक्तगण ने उससे कभी दहेज संबंधी कोई मांग नहीं की थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 10 में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त शिशकांत शादी के बाद अधिकांश समय जहां—जहां पोस्टिंग हुई वहां—वहां रहा और अभियुक्त आरती शादी में भी नहीं आयी थी और शादी के पहले से छिन्दवाड़ा में अपने मामा के यहां रहती थी।

14 शीतल सोलंकी (अ.सा.—5) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि राजीनामा के लिए हम लोगों ने अभियुक्तगण से पांच लाख रूपये की मांग की थी। अभियुक्तगण का कहना था कि इतना पैसा हम नहीं दे सकते हैं। हम लड़की को रखने के लिए तैयार है लेकिन पांच लाख रूपये नहीं दे सकते। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी से दहेज की मांग किस तारीख को की थी। स्वतः कहा कि शादी के लगभग छहः माह बाद की थी। फिर कहा एक दो माह बाद। फिर कहा छहः माह बाद। शादी के छहः माह तक अंकिता का मायके और ससुराल में आना जाना लगा रहता था। छहः माह के भीतर कभी भी थाने में रिपोर्ट नहीं की गयी। छहः माह तक जब भी अंकिता मायके आती थी तो कहती थी कि उसे ससुराल अपने पित के पास जाना है। अभियुक्त शिकांत फौज में नौकरी करता है। इस बात की जानकारी नहीं है कि फौज में पत्नी को बॉडर में रखना संभव नहीं है। अभियुक्तगण ने कभी भी उससे दहेज की मांग नहीं की। स्वतः कहा फरियादी अंकिता से की थी।

फरियादी अंकिता (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि उसने विवाह के छहः माह तक अभियुक्तगण की मारपीट के संबंध में या दहेज की मांग के संबंध में तथा फरियादी को जलाकर मारने एवं जहर खिलाने के संबंध में कभी कोई रिपोर्ट नहीं की। अभियुक्त शशिकांत का फौज में नौकरी किया जाना उभयपक्ष के मध्य स्वीकृत है। साथ ही समस्त अभियोजन साक्षियों ने अपने कथनों में यह बताया है कि अभियुक्त शशिकांत फौज में नौकरी होने के कारण अपने घर बहुत कम आ पाता था। स्वयं फरियादी अंकिता ने भी अपने कथनों में यह बताया है कि उसके ससुराल में रहने तक अभियुक्त शशिकांत तीन बार उसके ससूराल में आया था और दीवाली में भी उसका पति नहीं आया था। उसकी सास ने उसे जहर दिया इसके बारे में उसने कहीं कोई रिपोर्ट नहीं की थी। न ही अभियुक्तगण द्वारा जलाने के संबंध में उसने रिपोर्ट की। साक्षी अनिल सोलंकी और शीतल सोलंकी जो कि फरियादी अंकिता के चाचा चाची है उन्होंने अपने कथनों में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उनसे कभी भी दहेज की कोई मांग नहीं की। साक्षीगण ने यह भी बताया है कि अभियुक्तगण को इस बात की जानकारी थी कि फरियादी अंकिता और उसकी मां की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। किसी भी साक्षी ने यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण के द्वारा किस दिन, किस समय, किस दिनांक, किस वर्ष और कहां पर दहेज संबंधी मांग की गयी।

16 प्रकरण में फरियादी अंकिता के अतिरिक्त अन्य अभियोजन साक्षी सुनीता एवं अनिल सोलंकी के समक्ष मारपीट एवं फरियादी को जलाने की या उसे जहर देने की कोई घटना घटित नहीं हुई है। घटना की जानकारी उन्हें फरियादी के बताये अनुसार है। फरियादी अंकिता (अ.सा.—1) के द्वारा न तो यह

बताया गया है कि अभियुक्तगण ने किस दिन उससे दहेज की मांग की। न ही अभियुक्त के द्वारा मारपीट किये जाने पर शादी के छहः माह तक कहीं पर कोई भी शिकायत न की जाना, कोई भी चिकित्सकीय परीक्षण न कराया जाना बताया गया है। फरियादी अंकिता ने यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके उपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश की थी और जिस दिन अभियुक्तगण ऐसा कर रहे थे उस दिन उसकी मां भी उसके ससुराल में आयी थी। उसने अपनी मां को तुरंत पूरी जानकारी दे दी थी। यह अत्यन्त अस्वाभाविक है कि फरियादी अंकिता के साथ उसकी मां के समक्ष अभियुक्तगण ने मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश की हो और फरियादी एवं उसकी मां के द्वारा अभियुक्तगण की रिपोर्ट न की जाना अत्यन्त अस्वाभाविक प्रतीत होता है। साथ ही फरियादी ने अपने कथनों में यह भी बताया है कि उसकी सास ने प्रसाद के रूप में जहर दिया था परंतु इस संबंध में भी अभिलेख पर ऐसी साक्ष्य नहीं है कि जिससे कि यह प्रकट हो कि फरियादी ने अभियुक्तगण के द्वारा जहर खिलाये जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट की हो। न ही कोई चिकित्सकीय साक्ष्य इस संबंध में अभिलेख पर है।

17 अभियुक्त शशिकांत फरियादी अंकिता का पित होकर फौजी है जो कि कभी कभार ही अपने घर में आना जाना करता था तथा अभियुक्त आरती फरियादी के ससुराल में न रहकर अपने मामा के यहां छिन्दवाड़ा में रहती थी। स्वयं फरियादी ने यह बताया है कि अभियुक्त आरती उसकी शादी में भी नहीं आयी थी। साथ ही साक्षी शीतल एवं अनिल सोलंकी ने यह बताया है कि अभियुक्तगण को प्रारंभ से ही फरियादी की आर्थिक स्थिति अत्यन्य दयनीय आर्थिक दशा की जानकारी थी। फरियादी के द्वारा भी यह बताया गया है कि अभियुक्तगण ने शादी तक एवं शादी के समय दहेज की मांग नहीं की। यह अत्यन्त अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि फरियादी पक्ष की आर्थिक दशा अत्यन्त कमजोर होने के बाद भी अभियुक्तगण उनसे दहेज में पांच लाख रूपये एवं एक फोर व्हीलर गाड़ी की मांग करेंगे। उपर्युक्त परिस्थितियों में फरियादी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तगण ने उससे दहेज की मांग की और दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर उसे शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 06.05.2011 से दिनांक 08.04.2012 तक थाना आमला जिला बैतूल स्थित अपने मकान में फरियादी अंकिता मोखेडे जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए कूरता कारित की एवं फरियादी से दहेज के रूप में पांच लाख रूपये और चार पहिया वाहन लाने की मांग की। फलतः अभियुक्तगण शिशकांत, लालीबाई, जितेंद्र उर्फ जित्तू एवं आरती को 498(ए) भाठदं०सं० एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3, 4 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)